बिहार सरकार
अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग
संoसंo–1 / आoविo (विविध)–02–15 / 2008 1912

प्रेषक,
लियान कुंगा,
निदेशक।

सेवा में,
सभी जिला कल्याण पदाधिकारी।
बिहार,पटना।

पटना दिनांकः– 27/5/08

विषय– **अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति आवासीय विद्यालयों में मेस संचालन की नयी व्यवस्था के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में कहना है कि अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति आवासीय विद्यालयों में मेस संचालन के लिए मेस कमिटि गठित है, जिसमे विद्यालय के शिक्षक / छात्र–छात्राओं के प्रतिनिधि भी सदस्य हैं। वर्तमान व्यवस्था में मेस संचालन छात्रावास अधीक्षक द्वारा किया जाता है। छात्रावास अधीक्षक विद्यालय के शिक्षक होते है। मेस संचालन के लिए 900 रू0 प्रतिमाह प्रतिछात्र का प्रावधान है। वर्ष में चार बार यथा 26 जनवरी, 15 अगस्त, 02 अक्टूबर एवं 14 नवंबर को विशेष भोजन का प्रावधान है। विशेष भोजन के लिए 100 रू0 प्रतिछात्र प्रतिवर्ष का प्रावधान है। भोजन के लिए 900 रू0 प्रतिछात्र प्रतिमाह की व्यवस्था वर्ष के 10 माह तक के लिए ही रहती है।

विद्यालय के मेस संचालन में शिक्षकों की सहभागिता रहने से पठन–पाठन में व्यवधान के साथ–साथ कतिपय कारणों से यदा–कदा छात्रों एवं शिक्षकों में कटुता उत्पन्न होने से विधि व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इन सभी पहलुओं पर विचार कर सरकार द्वारा आवासीय विद्यालयों में मेस संचालन के लिए निम्नलिखित निर्णय लिये गये हैं :–

(1) आवासीय विद्यालयों के छात्र–छात्राओं के भोजनादि की व्यवस्था में शिक्षक–शिक्षिकाओं को मेस संचालन से अलग रखा जाय।

(2) मेस संचालन के लिए वृहत सरकुलेशन वाले समाचार पत्रों में निविदा प्रकाशित किया जाय, जिसमें गैर सरकारी निबंधित संस्था भी भाग ले सकेगें।

(3) नयी व्यवस्था लागू होने तक पुराने व्यवस्था से मेस संचालन कराया जाय।

मेस संचालन का दायित्व निविदा के आधार पर लोएस्ट कोटेशन वाले निविदादाता को दिया जाएगा। निविदा एवं निविदा में सफल उम्मीदवार के लिए निम्नलिखित शर्तें एवं सुविधाएं देय होंगी :–

(121)

(क) निविदा वृहत सर्कुलेशन वाले समाचार पत्रों में प्रकाशित किये जायें, जिसमें व्यक्ति विशेष के अलावे निबंधित गैर सरकारी संस्थान या स्वयं सहायता समूह भी भाग लेंगे।

(ख) निविदा में सफल उम्मीदवार को विभाग द्वारा निर्धारित मीनू या उससे अच्छे मीनू के अनुसार आवासीय विद्यालयों के छात्र/छात्राओं को भोजन एवं नाश्ता की आपूर्ति करनी होगी।

(ग) भोजन एवं नाश्ते में गुणवत्ता का ख्याल रखना होगा।

(घ) निविदा में सफल उम्मीदवार को आवासीय विद्यालयों की ओर से भोजन बनाने एवं खाने के लिए बर्तन वगैरह उपलब्ध कराया जाएगा। रसोईया की व्यवस्था आपूर्तिकर्ता ही करेंगे।

(ङ) आपूर्तिकर्ता भोजन बनाने में लगने वाले ईंधन आदि का प्रबंध करेंगे।

(च) निविदा में सफल होने वाले उम्मीदवार को जमानत के रूप में 25000 रू0 का बैक ड्राफ्ट जिला कल्याण पदाधिकारी के पक्ष में एकरारनामा के समय जमा करना होगा, जो अनुबंध के सफल संचालन/समाप्ति के बाद आपूर्तिकर्ता को वापस किया जा सकेगा।

(छ) उच्चाधिकारी द्वारा समय–समय पर निरीक्षण के दौरान आपूर्तिकर्ता द्वारा संचालित मेस के संबंध में शिकायत प्राप्त होने पर इसकी सम्यक समीक्षा कर आपूर्तिकर्ता के साथ किये गये एकरारनामा को समाप्त करने का अधिकार जिला कल्याण पदाधिकारी को सुरक्षित रहेगा।

(ज) आपूर्तिकर्ता को 900 रू0 प्रतिमाह प्रतिछात्र की दर से मेस संचालन के तहत आवासीय विद्यालय के छात्र/छात्राओं को भोजन, नाश्ता इत्यादि उपलबध कराने के एवज में वर्ष के 10 माह के लिए भुगतान होगा। विशेष भोजन के तहत 100 रू0 प्रतिछात्र प्रतिवर्ष की दर से भुगतेय होगा।

(झ) निविदा में सफल उम्मीदवार को मेस संचालन हेतु सरकारी दर पर अनुमान्य वैट की राशि स्वयं जमा करना होगा। वैट की राशि जमा करने का दायित्व विभाग का नहीं होगा।

(ट) आवासीय विद्यालय में आपूर्तिकर्ता द्वारा मेस के सफल संचालन की समीक्षा कर छात्रों की उपस्थिति के आधार पर प्रत्येक माह के अंत में आपूर्तिकर्ता को खंड "ज" में निर्धारित दर के अनुसार राशि का भुगतान करेंगे।

(ठ) जिला कल्याण पदाधिकारी आपूर्तिकर्ता को 12000 रू0 तक अग्रिम का भुगतान कर सकते हैं, जिसके समायोजन के पश्चात ही द्वितीय अग्रिम का भुगतान करेंगे।

—3—

(ड) सामान्यतः निविदा में सफल उम्मीदवार के साथ एक शैक्षणिक सत्र तक के लिए मेस संचालन का एकरारनामा किया जाएगा। यह एकरारनामा अगले सत्र के लिए तभी नवीकृत किया जा सकेगा, जब आपूर्तिकर्ता के द्वारा मेस संचालित अवधि में कोई प्रमाणित शिकायत प्राप्त नहीं हुआ हो।

(ढ) मेस संचालन की नई व्यवस्था को लागू करने के लिए शीघ्र निविदा प्रकाशन की कार्रवाई की जाय। जिला कल्याण पदाधिकारियों का यह दायित्व होगा कि हर हालत में आवासीय विद्यालयों में मेस संचालन की नई व्यवस्था दिनांक 30.6.08 तक लागू हो जाय।

अनुलग्नक – यथोपरि

विश्वासभाजन,

27/5/08
(लियान कुंगा)
निदेशक

ज्ञापांक– 1/आ०वि० (विवि)-02–15/2008 1912 पटना,दिनांक– 27/5/08

प्रतिलिपिः– सभी जिला पदाधिकारी , को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि आवासीय विद्यालयों में मेस संचालन की नई व्यवस्था को समय–सीमा के अंतर्गत लागू कराने कृपा की जाय।

27/5/08
निदेशक

leeter-dir